

## **Disclaimer**

The Institute of Chartered Accountants of India has given the right of translation of the study material in Hindi to third parties and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original study material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer the English version.

## **अस्वीकरण**

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार तीसरे पक्ष को दिया है और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालाँकि मूल अध्ययन विषय-वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है। यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

**पेपर - 4 - कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून**

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए

**प्रश्न 1**

(क) एबीसी लिमिटेड ने कर पूर्व लाभ की गणना के लिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में क्रेडिट/डेबिट की गई निम्नलिखित मदों को शामिल करने के बाद ₹70 लाख का शुद्ध लाभ दिखाया।

अन्य राजस्व	राशि (₹)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	7,00,000
संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन	5,00,000
उचित मूल्य पर आस्ति के मापन पर आस्तियों की अग्रणीत राशि में परिवर्तन	9,00,000
<b>व्यय</b>	<b>राशि (₹)</b>
ऋण को डूबा हुआ और बट्टे खाते में माना गया	6,00,000
उपक्रम की बिक्री सहित पूंजीगत प्रकृति की हानि	3,00,000
कर व्यय, वर्तमान देय कर	15,00,000

अचल संपत्तियों की बिक्री का विवरण:

बिक्री मूल्य	20,00,000
मूल लागत	16,00,000
लिखित (हासिल) मूल्य	13,00,000

उपरोक्त विवरणों का उल्लेख करते हुए, आपसे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का विश्लेषण करने और निम्नलिखित का उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है:

- (i) प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की धारा 198 के तहत कंपनी के शुद्ध लाभ की गणना करें।
- (ii) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में रिपोर्टिंग की आवश्यकता।
- (iii) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान के तरीके क्या हैं? (6 अंक)
- (ख) श्री सिड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 13 के प्रावधानों का पालन करने के बाद टीज़ लिमिटेड में निदेशक पद के लिए आवेदन किया है। टीज़ लिमिटेड ने निदेशक के पद के लिए श्री सिड की उम्मीदवारी के संबंध में 17 जुलाई, 2021 को आम बैठक करने का निर्णय लिया और 5 जुलाई, 2021 को अपनी वेबसाइट में इससे संबद्ध नोटिस को सूचीबद्ध किया। 8 जुलाई, 2021 को शेयरधारकों में से एक ने कंपनी पर आपत्ति जताई कि नोटिस को ठीक से जारी नहीं किया गया। निम्नलिखित स्थितियों का परीक्षण करें और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार टिप्पणी करें।
- (i) क्या नोटिस की तामील के संबंध में टीज़ लिमिटेड द्वारा की गई कार्रवाई वैध है?

**2 FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

- (ii) क्या टीज़ लिमिटेड के पास कोई विकल्प उपलब्ध है, यदि यह निर्णय लिया जाता है कि अपने सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं दिया जाएगा? **(4 अंक)**

(ग) (i) एमएपी लिमिटेड में, निम्नलिखित निदेशकों को सीट की फीस मिल रही है।

निदेशक का नाम	सिटिंग फीस (रुपए में)
मिस्टर एक्स (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	₹ 70,000
श्रीमती वाई (गैर-कार्यकारी महिला निदेशक)	₹ 80,000
श्री जेड (गैर-कार्यकारी निदेशक)	₹ 60,000
श्री एल (गैर-कार्यकारी निदेशक)	₹ 50,000

एमएपी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मिस्टर जेड और मिस्टर एल की सिटिंग फीस को बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये कर दिया और मिस्टर एक्स और मिसेज वाई की सिटिंग फीस ऊपर बताई गई पुरानी फीस पर जारी रखी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए, जांच करें कि क्या निदेशक मंडल के कुछ निदेशकों की सिटिंग फीस बढ़ाने और शेष निदेशकों के लिए पहले की फीस को बनाए रखने का निर्णय वैध माना जाएगा।

- (ii) क्या स्वतंत्र निदेशक श्री एक्स, और महिला निदेशक श्रीमती वाई, सिटिंग फीस के अलावा पारिश्रमिक के हकदार होंगे, और यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक को प्रति वर्ष देय अधिकतम पारिश्रमिक क्या होगा, यदि कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ है और 31 मार्च, 2021 को इसकी प्रभावी पूंजी ₹ 250 करोड़ है। **(4 अंक)**

**उत्तर**

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 198 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के तहत देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के उद्देश्य से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

**धारा 198(3) में निर्दिष्ट उन राशियों के लिए क्रेडिट नहीं दिया जाएगा**

**घटा:** (यदि कर पूर्व लाभ पर पहुंचने के लिए पीएंडएल खाते में जमा किया जाता है)

- कंपनी के उपक्रम या किसी भी उपक्रम में शामिल किसी भी अचल संपत्ति या पूंजीगत प्रकृति की अचल संपत्तियों की बिक्री से लाभ, जब तक कि कंपनी का व्यवसाय, ऐसी किसी संपत्ति या परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने में पूर्ण या आंशिक रूप से शामिल न हो:
- बशर्ते कि जिस राशि के लिए कोई अचल संपत्ति बेची जाती है, वह उसके लिखित मूल्य से अधिक हो, तो उस अतिरिक्त के लिए क्रेडिट दिया जाएगा जो उस अचल संपत्ति की मूल लागत और उसके लिखित मूल्य- के बीच के अंतर से अधिक नहीं है;
- उचित मूल्य पर परिसंपत्ति या देयता के मापन पर लाभ और हानि खाते में अधिशेष सहित इक्विटी रिजर्व में मान्यता प्राप्त किसी परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन।

**Paper - 4: CORPORATE AND ECONOMIC LAWS (पेपर - 4: कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून) 3**

- अप्राप्त लाभ, काल्पनिक लाभ या संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी राशि।

पूर्वोक्त गणना करते समय, धारा 198(4) के तहत निर्दिष्ट निम्नलिखित राशि की कटौती की जाएगी:

- खाते के वर्ष के दौरान खराब और बट्टे खाते में डाले गए या समायोजित किए गए ऋण।

**गैर-कटौती योग्य मद [धारा 198(5)]**

- उपक्रम की बिक्री पर नुकसान सहित पूंजीगत प्रकृति की हानि
- कंपनी द्वारा देय वर्तमान कर।

(i) अधिनियम की धारा 198 के तहत निर्धारित प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना के उद्देश्य से शुद्ध लाभ की गणना।

मद	राशि (रुपए में)
लाभ और हानि विवरण के अनुसार शुद्ध लाभ	70,00,000
घटा: अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ को लाभ में शामिल नहीं किया जाना चाहिए (नीचे कार्य नोट देखें)	(4,00,000)
घटा: संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन	(5,00,000)
घटा: उचित मूल्य पर आस्ति के मापन पर आस्तियों की अग्रणीत राशि में परिवर्तन	(9,00,000)
शेष	52,00,000
जोड़: कर व्यय, वर्तमान कर देय	15,00,000
जोड़: उपक्रम की बिक्री पर हानि सहित पूंजीगत प्रकृति की हानि	3,00,000
प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 198 के अनुसार शुद्ध लाभ	70,00,000

**कार्य नोट:**

क्रम संख्या	मद	राशि (रुपए में)
A.	मूल लागत	16,00,000
B.	हासिल मूल्य	13,00,000
C.	बिक्री मूल्य	20,00,000
D.	अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ	7,00,000
E.	लाभ में शामिल की जाने वाली राशि (ए) - (बी)	3,00,000
F.	लाभ में शामिल नहीं की जाने वाली राशि (डी) - (ई)	4,00,000

नोट: किसी भी अचल संपत्ति या अचल संपत्तियों की बिक्री से लाभ के लिए क्रेडिट नहीं दिया जाएगा (बशर्ते क्रेडिट इतना अधिक के लिए दिया जाएगा जो उस अचल संपत्ति की मूल लागत और उसके हासिल मूल्य के

**4 FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

बीच के अंतर से अधिक नहीं है)। अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ = ₹ 20,00,000 (-) ₹ 13,00,000 (हासिल मूल्य) ₹ 7,00,000, लेकिन क्रेडिट ₹ 16,00,000 (मूल लागत) (-) ₹ 13,00,000 (हासिल मूल्य) = ₹ 3,00,000 के अंतर से अधिक नहीं हो सकता। अतः शुद्ध लाभ में से ₹ 4,00,000 की कटौती की जानी चाहिए।

(ii) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में रिपोर्टिंग की आवश्यकता [अधिनियम की धारा 197(16)]: कंपनी का लेखा परीक्षक, धारा 143 के तहत अपनी रिपोर्ट में, पारिश्रमिक के बारे में निम्नानुसार बयान देगा:

- क्या कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है;
- क्या किसी निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है; तथा
- विहित अनुसार अन्य विवरण दें।

(iii) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान का तरीका [अधिनियम की धारा 197(6)]: एक निदेशक या प्रबंधक को निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है, या तो-

- मासिक भुगतान के माध्यम से, या
- कंपनी के शुद्ध लाभ के निर्दिष्ट प्रतिशत पर, या
- आंशिक रूप से एक तरह से और आंशिक रूप से दूसरी तरह से।

(ख) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार, एक व्यक्ति (सेवानिवृत्त निदेशक के अलावा) किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए आम बैठक (चाहे एजीएम या ईजीएम में) में पात्र होगा, अगर उसने कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक से कम से कम 14 दिन पहले एक निदेशक के रूप में अपनी उम्मीदवारी को इंगित करते हुए लिखित रूप में नोटिस दिया है।

यहां तक कि, कंपनी के अन्य सदस्य जो ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में प्रस्तावित करना चाहते हैं, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक लिखित नोटिस दे सकते हैं, जिसमें बैठक से कम से कम 14 दिन पहले निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित करने की मंशा ज़ाहिर होती है।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 13 में निर्धारित तरीके के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों को निदेशक के पद के लिए किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के बारे में सूचित करेगी। आम बैठक से कम से कम 7 दिन पहले, कंपनी अपने सदस्यों को ऐसी उम्मीदवारी के बारे में सूचित करेगी-

(1) ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से व्यक्तिगत नोटिस देकर, जिन्होंने संचार उद्देश्यों के लिए अपना ई-मेल पता दिया है और बाकी के अन्य सभी सदस्यों को लिखित रूप में सूचित कर; तथा

(2) अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर ऐसी उम्मीदवारी की सूचना डालकर।

जब व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है: यदि कंपनी ऐसी उम्मीदवारी का विज्ञापन बैठक से कम से कम 7 दिन पहले करती है, तो कंपनी के लिए व्यक्तिगत नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा:

(क) कम से कम एक बार स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में उस जिले की प्रमुख स्थानीय

## 6 FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)

भाषा में जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, और

(ख) उस जिले में प्रसारित होने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र में कम से कम एक बार अंग्रेजी भाषा में।

तदनुसार, दिए गए मामले में, नोटिस के संबंध में टीज़ लिमिटेड द्वारा की गई कार्रवाई मान्य नहीं है क्योंकि सदस्यों को कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया था और न ही इसने किसी भी स्थानीय समाचार पत्र में श्री सिड की उम्मीदवारी का विज्ञापन किया था। नोटिस को वेबसाइट पर डाल देना ही काफी नहीं होगा।

(ii) हाँ, टीज़ लिमिटेड के पास एक विकल्प उपलब्ध है, यदि निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो सदस्यों को नोटिस नहीं देने का निर्णय लिया जा सकता है:

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 13 के प्रावधान के अनुसार, यदि कंपनी बैठक से कम से कम 7 दिन पहले ऐसी उम्मीदवारी का विज्ञापन करती है, तो कंपनी के लिए व्यक्तिगत नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा:

(क) कम से कम उस जिले में प्रसारित होने वाले स्थानीय समाचार पत्र में, वहां की प्रमुख स्थानीय भाषा में, जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है

(ख) उस जिले में प्रसारित होने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र में कम से कम एक बार अंग्रेजी भाषा में।

(ग) (i) **निदेशकों को बैठने की फीस (सिटिंग फीस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(5)]**

एक निदेशक बोर्ड या उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए शुल्क के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, जो कंपनी नियम, 2014 के नियम 4 (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) द्वारा लगाई गई निम्न शर्तों के अधीन है:

- बोर्ड या उसकी समिति की बैठक में बैठने की फीस एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। (नियम 4 के अनुसार)
- स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों को देय बैठक शुल्क अन्य निदेशकों को देय राशि से कम नहीं होगा। (नियम 4 के प्रावधान के अनुसार)

तदनुसार, श्रीमान जेड और श्री एल की बैठक शुल्क में वृद्धि उक्त नियम 4 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है। हालांकि, श्रीमान एक्स और श्रीमती वाई के लिए समान बैठक शुल्क बनाए रखना बताए गए प्रावधान की आवश्यकता के अनुरूप मान्य नहीं है, यानी, यह मिस्टर जेड और मिस्टर एल को देय राशि से कम नहीं होगा।

इसलिए, कुछ निदेशकों की बैठक शुल्क बढ़ाने और शेष निदेशकों के लिए समान बैठक शुल्क बनाए रखने के निदेशक मंडल के निर्णय को अमान्य माना जाएगा।

(ii) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(9)** के प्रावधान के अनुसार, यदि किसी कंपनी का कोई लाभ नहीं है या उसका लाभ अपर्याप्त है, तो एक स्वतंत्र निदेशक अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है, धारा 197 की उप-धारा (5) के तहत देय किसी भी शुल्क को छोड़कर।

आगे अनुसूची V निर्दिष्ट करती है कि जहां किसी वित्तीय वर्ष में एक प्रबंधकीय व्यक्ति या अन्य निदेशक के कार्यकाल की अवधि के दौरान, किसी कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है या

**Paper - 4: CORPORATE AND ECONOMIC LAWS (पेपर - 4: कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून) 7**

उसका लाभ अपर्याप्त होता है, वह प्रबंधकीय व्यक्ति या अन्य निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान कर सकता है जो तालिका (ए) और (बी) की सीमा से अधिक नहीं है।

**स्पष्टीकरण-** खंड I, खंड II और धारा III के प्रयोजनों के लिए, "या अन्य निदेशक" का अर्थ एक गैर-कार्यकारी निदेशक या एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष में, किसी कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है या उसका लाभ अपर्याप्त होता है, तो कंपनी अपने निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेगी (सिटिंग फीस को छोड़कर) और इसमें कोई भी प्रबंधन या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक या कोई अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक (एक महिला निदेशक भी शामिल है) या एक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, केवल अनुसूची V के प्रावधानों के अनुपालन के सिवाय, अर्थात् ₹24 लाख के साथ प्रभावी पूंजी का 0.01%, जो उस ₹250 करोड़ के अधिक में से होगा, जहां कंपनी की प्रभावी पूंजी ₹250 करोड़ और उससे अधिक है।

तदनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक श्री एक्स और एक महिला निदेशक श्रीमती वाई, (जो गैर-कार्यकारी निदेशक भी हैं) को व्यक्तिगत रूप से प्रति वर्ष देय अधिकतम पारिश्रमिक ₹24 लाख और प्रभावी पूंजी का 0.01% जो उस ₹250 के करोड़ के अधिक में से होगा, जहां प्रभावी पूंजी ₹250 करोड़ और उससे अधिक है।

चूंकि दिए गए मामले में, कंपनी की प्रभावी पूंजी ₹250 करोड़ है, इसलिए मिस्टर एक्स और मिसेज वाई को अधिकतम वार्षिक पारिश्रमिक ₹24 लाख का भुगतान किया जा सकता है।

**प्रश्न 2**

- (क) सिग्मा लिमिटेड को ट्रिब्यूनल द्वारा अनिवार्य रूप से कार्य समाप्ति का आदेश दिया गया है। कार्य समाप्ति शुरू करने की तिथि 30 जुलाई 2019 है। श्री राजेश कंपनी के परिसमापक हैं। कुछ ऐसी भारयुक्त संपत्तियां थीं जिनके बारे में श्री राजेश अनजान थे और जिन्हें 29 अगस्त 2019 तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इस बीच, श्री महेश ने अस्वीकरण संपत्ति में रुचि का दावा करने के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन किया। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, जांच करें (i) क्या श्री राजेश 29 अगस्त 2019 के बाद उन संपत्तियों को अस्वीकार कर सकते हैं और (ii) श्री महेश के आवेदन की सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल क्या आदेश पारित कर सकता है? (4 अंक)
- (ख) बीकेके लिमिटेड ने मुंबई में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ अपनी वार्षिक रिटर्न और अन्य दस्तावेज दाखिल किए थे। दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त निरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 के तहत जांच कर रहा था। निरीक्षण में निरीक्षक ने खाता बही की समीक्षा की बात कही है। कंपनी के एक निदेशक श्री आर ने निरीक्षण के लिए खाता बही प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। श्री आर एमकेके लिमिटेड और एसकेके लिमिटेड में भी निदेशक हैं। श्री आर की कार्रवाई की वैधता की जांच करें और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी उल्लंघन के लिए वह उत्तरदायी होते हैं, तो दंड बताएं। इसके अलावा, जांच करें कि क्या वह एमकेके लिमिटेड और एसकेके लिमिटेड के निदेशक बने रह सकते हैं। (4 अंक)
- (ग) भारत में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हिल लिमिटेड ने एक विदेशी ऋणदाता से 30 जून, 2020 को 50,000 अमेरिकी डॉलर का एक बाहरी वाणिज्यिक उधार ('ईसीबी') प्राप्त किया। 2 जुलाई 2021 को, पार्टियों की आपसी सहमति के आधार पर, ईसीबी पूरी तरह से इक्विटी में परिवर्तित हो जाता है।



**8 FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

विदेशी ऋणदाता को शेयर सममूल्य पर जारी किए गए थे न कि उचित मूल्य पर। आपको शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में सही कानूनी स्थिति प्रदान करने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के आलोक में ईसीबी के इक्विटी में रूपांतरण के समय हिल लिमिटेड द्वारा रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को बताने की आवश्यकता है। (3 अंक)

- (घ) एक भारतीय नागरिक श्री विवेक सिंगापुर में दस साल से काम कर रहे थे। उनके पास वर्तमान में सिंगापुर में संपत्ति और बैंक बैलेंस है और वे अब भारत में बसने की योजना बना रहे हैं। श्री विवेक आपसे सलाह लेते हैं कि क्या वह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुसार भारत के बाहर स्थित किसी विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या किसी अचल संपत्ति को धारण, स्वामित्व, हस्तांतरण या उसमें निवेश कर सकते हैं। (3 अंक)

**उत्तर**

- (क) (i) **कंपनी परिसमापक द्वारा भारयुक्त संपत्ति का अस्वीकरण:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 333 (1) के अनुसार, जहां कंपनी की संपत्ति का कोई भी हिस्सा बंद किया जा रहा है, कंपनी परिसमापक, भले ही उसने बेचने का प्रयास किया हो या संपत्ति पर कब्जा कर लिया है या उसके संबंध में स्वामित्व के किसी भी कार्य का प्रयोग किया है या अनुबंध के अनुसरण में कुछ भी किया है, ट्रिब्यूनल की अनुमति के साथ और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित द्वारा, समापन या ऐसी विस्तारित अवधि के शुरू होने के 12 महीने के भीतर किसी भी समय, जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमति दी जा सकती है, संपत्ति को अस्वीकार कर सकता है।

जहां कंपनी परिसमापक को समापन की शुरुआत से 1 महीने के भीतर ऐसी किसी भी संपत्ति के अस्तित्व के बारे में पता नहीं चला था, उस स्थिति में जबसे वह इसके बारे में जागरूक हो जाता है या ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमति से इस तरह की अवधि बढ़ा दी जाती है, तबसे संपत्ति को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग बारह महीने के भीतर किसी भी समय किया जा सकता है।

इसलिए, तदनुसार, कंपनी के परिसमापक श्री राजेश, उन संपत्तियों को 29 अगस्त, 2019 के बाद से बारह महीने के भीतर किसी भी समय उनके बारे में जागरूक होने के बाद अस्वीकार कर सकते हैं।

- (ii) **श्री महेश के आवेदन पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल का आदेश (धारा 333(7)):** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 331(6) के अनुसार, ट्रिब्यूनल, किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन पर, जो किसी भी अस्वीकृत संपत्ति में किसी भी हित का दावा करता है या किसी भी अस्वीकृत संपत्ति के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को सुनने के बाद, जिसे वह ठीक समझे, के लिए एक आदेश दे सकता है-

- संपत्ति को हवाले करना, या
- संपत्ति की सुपुर्दगी उसके हकदार किसी व्यक्ति को या जिसे यह उचित लगे कि संपत्ति को इस तरह के दायित्व के लिए मुआवजे के रूप में पूर्वोक्त रूप में दिया जाना चाहिए,
- या उसके लिए एक ट्रस्टी, और

**Paper - 4: CORPORATE AND ECONOMIC LAWS (पेपर - 4: कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून) 9**

ऐसी शर्तों पर जो न्यायाधिकरण उचित और उचित समझे, और इस तरह के किसी भी निहित आदेश के होने पर, उसमें शामिल संपत्ति उस उद्देश्य के लिए किसी भी हस्तांतरण या असाइनमेंट के बिना उसमें नामित व्यक्ति में तदनुसार निहित होगी।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 207 के अनुसार निरीक्षण और जांच के संचालन के संबंध में-

(i) जहां कोई रजिस्ट्रार या निरीक्षक धारा 206 की उप धारा (1) के तहत लेखा बही और अन्य पुस्तकों और कागजात की मांग करता है, तो यह कंपनी के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी या अन्य कर्मचारियों का कर्तव्य होगा:

(क) ऐसे सभी दस्तावेजों को पेश करना; तथा

(ख) इस तरह के बयानों, सूचनाओं या स्पष्टीकरणों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना जिसकी आवश्यकता हो सकती है; तथा

(ग) ऐसे निरीक्षण के संबंध में सभी सहायता प्रदान करना।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 207(4)(i) के अनुसार, यदि कंपनी का कोई निदेशक या अधिकारी इस धारा के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक द्वारा जारी निर्देश की अवहेलना करता है, तो निदेशक या अधिकारी को कारावास का दंड भुगतना होगा जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भरना होगा जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 207(4)(ii) के अनुसार, यदि कंपनी के किसी निदेशक या अधिकारी को इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो निदेशक या अधिकारी को उस तारीख से जबसे उसे इस प्रकार दोषी ठहराया गया है, मान लिया जाएगा कि उसने अपना पद उसी रूप में रिक्त कर दिया है और वह किसी भी कंपनी में पद धारण करने से अयोग्य हो जाएगा।

तदनुसार, निरीक्षण के लिए मांगे गए बही खातों के संबंध में, बीकेके लिमिटेड के निदेशक श्री आर. की कार्रवाई बताए गए प्रावधान के उल्लंघन में है।

इसलिए, वे उत्तरदायी होंगे और कारावास के दंड के भागी होंगे जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है।

और धारा के तहत दोषसिद्धि पर, जिस तारीख को उन्हें इस प्रकार दोषी ठहराया गया है, श्री आर के बारे में मान लिया जायेगा कि उन्होंने बीकेके लिमिटेड से अपना कार्यालय खाली कर दिया है और कार्यालय से इस तरह मुक्त होने पर उन्हें किसी भी कंपनी, यानि एमकेके लिमिटेड और एसकेके लिमिटेड में किसी भी कार्यालय में पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, इसलिए वे इन कंपनियों में निदेशक बने नहीं रह सकते।

(ग) शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में कानूनी स्थिति

ईसीबी के बकाया को इक्विटी में बदलने के लिए, इस तरह के रूपांतरण के लिए संबंधित पार्टियों के बीच समझौते की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर या इससे कम किसी भी दर को ईसीबी ऋणदाता के साथ आपसी समझौते के साथ लागू किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य की गणना केवल रूपांतरण की तारीख के संदर्भ में

**10FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

की जाएगी।

उपरोक्त को देखते हुए, हिल लिमिटेड सममूल्य पर ईसीबी को शेयरों में परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसे रूपांतरण तिथि पर उधारकर्ता को उचित मूल्य पर शेयर जारी करने होते हैं (अर्थात् रूपांतरण की तिथि पर लागू मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के आधार पर)।

**रिपोर्टिंग आवश्यकताएं**

निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईसीबी, जो परिपक्व लेकिन अवैतनिक हैं, को इक्विटी में बदलने की अनुमति है:

**ईसीबी को इक्विटी में पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के मामले में,** रिजर्व बैंक को फॉर्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट किए गए पूरे हिस्से की रिपोर्टिंग होगी। फॉर्म ईसीबी 2 रिटर्न में डीएसआईएम को रिपोर्ट करते समय "ईसीबी पूरी तरह से इक्विटी में परिवर्तित" टिप्पणी के साथ किया जाना चाहिए। बाद में फॉर्म ईसीबी 2 रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

- (घ) **फेमा, 1999 की धारा 6 के अनुसार,** भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या भारत के बाहर स्थित किसी भी अचल संपत्ति में निवेश कर सकता है, उसका स्वामित्व, हस्तांतरण या निवेश कर सकता है, यदि ऐसी मुद्रा, प्रतिभूति या संपत्ति का अधिग्रहण, धारण या स्वामित्व तब किया गया था जब वह व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा था या ये सब उसे किसी ऐसे व्यक्ति से विरासत में मिला था जो भारत से बाहर का निवासी था।

यहां, दिए गए मामले में, एक भारतीय नागरिक श्री विवेक 10 वर्षों से सिंगापुर में काम कर रहे थे, और वर्तमान में भारत में बसने की योजना बना रहे थे, वे भारत के बाहर स्थित विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या किसी अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते थे, उसका स्वामित्व, हस्तांतरण या निवेश करना चाहते थे।

इसलिए दिए गए मामले में, श्री विवेक ने रोजगार या व्यवसाय या कारोबार के माध्यम से आय अर्जित की थी जब वे भारत से बाहर थे। ऐसे में भारत में बसने के बाद, वह स्वतंत्र रूप से विदेशों में अपनी सभी पात्र संपत्तियों के साथ-साथ ऐसी संपत्तियों या उनकी बिक्री से होने वाली आय का उपयोग कर सकते हैं जो भारत लौटने के बाद उन्हें प्राप्त होता है और रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना विदेश में कोई नया निवेश करने के लिए स्वतंत्र रूप से उनका उपयोग कर सकते हैं।

**ध्यानार्थ:**

श्री विवेक की आवासीय स्थिति के बारे में कि वह 'भारत में निवासी व्यक्ति' हैं, प्रश्न में नहीं दिया गया है। प्रश्न में 'भारतीय नागरिक' शब्द को 'भारतीय निवासी' के रूप में पढ़ा जा सकता है।

**प्रश्न 3**

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन नियम), 2017 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित उत्तर दें:
- (i) एंजेल निवेशकों को तरजीही आवंटन के लिए एक्स लिमिटेड को जारी मूल्यांकन रिपोर्ट के मामले में श्री शाह को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था। मूल्यांकनकर्ता ने कोई उचित मूल्यांकन नहीं किया, और कंपनी का मूल्यांकन करते समय अपनाई गई विधियों का उद्देश्य इसके सदस्यों को धोखा देना था। उपर्युक्त दोषसिद्धि में श्री शाह का दायित्व क्या होगा?
- (ii) चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री रवि को अदालत ने 31 जुलाई, 2012 को दीवानी अपराध में 10 साल के लिए

दोषी ठहराया था। 1 अगस्त, 2021 को, वह खुद को एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत कराना चाहता है। क्या श्री रवि खुद को एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं? (4 अंक)

- (ख) (i) जापान में पंजीकृत एक कंपनी, टोक्यो फेरो अलॉयज लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 2021 को मुंबई में एक मार्केटिंग डिवीजन की स्थापना करके भारत में अपना परिचालन शुरू किया। हाल ही में, कंपनी ने भारत में कुछ प्रतिभूतियों को जारी करने का निर्णय लिया और इसलिए, कंपनी की प्रतिभूतियों में सदस्यता के लिए एक विवरणिका को भारत में प्रसारित करने की योजना बना रही है। यह मानते हुए कि इस संबंध में अन्य सभी औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए, भारतीय परिचालन के प्रभारी व्यक्ति को विवरणिका में संलग्न करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के बारे में सलाह दें, ताकि उसे पंजीकृत कराया जा सके।
- (ii) सिंगापुर में निगमित कंपनी विबाव पीटीई का दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। संपर्क कार्यालय कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय विवरण के साथ रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में आपकी सलाह चाहता है।

(4 अंक)

- (ग) जयपुर के विशेष न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित किया कि श्री रोहित ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध किए हैं। विशेष अदालत ने श्री रोहित की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। हालांकि, उनके दोस्त श्री मोहित ने दावा किया कि वह संपत्ति के लाभार्थी मालिक हैं क्योंकि उन्होंने संपत्ति के खिलाफ वित्त दिया है और उनपर इसका भार है। उपरोक्त परिदृश्य के आधार पर, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का हवाला देते हुए, टिप्पणी करें कि क्या श्री मोहित ने विशेष अदालत द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने के बाद संपत्ति पर भार डाला है और निष्कर्ष निकालें कि संपत्ति में किसका निहित स्वार्थ है? (3 अंक)

- (घ) एक पुलिस अधिकारी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपराध के लिए श्री राधे को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया। क्या पुलिस अधिकारी की कार्रवाई सही है? पीएमएलए, 2002 के तहत किसी अपराध का विशेष अदालत कब संज्ञान ले सकती है? (3 अंक)

उत्तर

- (क) (i) श्री शाह को न्यायालय द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए दोषी ठहराया गया था जिसमें उन्होंने कोई उचित मूल्यांकन नहीं किया और कंपनी के सदस्यों को धोखा देने के इरादे से मूल्यांकन किया। इसलिए, वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे:
1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247(4) के अनुसार, यदि मूल्यांकक ने कंपनी या उसके सदस्यों को धोखा देने के इरादे से धारा 247 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो उसे कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे 1 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना लगाया जा सकता है जो ₹1 लाख से कम नहीं होगा लेकिन ₹5 लाख तक हो सकता है। [धारा 247(3)]

**12FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

2. जहां एक मूल्यांकनकर्ता को उपरोक्त बिंदु में दिए अनुसार दोषी ठहराया गया है, वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

- (क) उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक को कंपनी को वापस करना; तथा  
(ख) अपनी रिपोर्ट में दिए गए विवरणों के गलत या भ्रामक बयानों से होने वाली हानि के लिए कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान के लिए भरपाई करना।  
(ii) **कंपनियों के (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम), 2017 के अध्याय II, नियम 3** के अनुसार, एक व्यक्ति एक पंजीकृत मूल्यांकक होने के लिए पात्र होगा यदि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए 6 महीने या उससे अधिक के कारावास की सजा है, या उसपर नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए सजा दी गई हो, और सजा की समाप्ति की तारीख से 5 साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है;

**बशर्ते कि** अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में **7 साल या उससे अधिक** की अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई है, तो वह पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रश्न में दिए गए तथ्यों और कानून के प्रावधान के अनुसार, चूंकि श्री रवि को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष (अर्थात् 7 वर्ष से अधिक) कारावास के लिए दोषी ठहराया गया है, वह एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत होने के योग्य नहीं है।

- (ख) (i) **कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 11 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की इस धारा 389 के अनुसार,**

निम्नलिखित दस्तावेजों को विवरणिका के साथ संलग्न किया जाएगा, जिनके नाम हैं:

- (क) एक विशेषज्ञ के रूप में किसी भी व्यक्ति से आवश्यक विवरणिका जारी करने के लिए कोई सहमति;  
(ख) प्रबंध निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति के लिए अनुबंधों की एक प्रति और एक अनुबंध के लिखित रूप में नहीं होने की स्थिति में, एक ज्ञापन जिसमें उसका पूरा विवरण दिया गया हो;  
(ग) किसी अन्य भौतिक अनुबंध की एक प्रति, जिसे व्यापार के सामान्य कामकाज में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों के भीतर दर्ज कर लिया गया है;  
(घ) हामीदारी समझौते की एक प्रति; तथा  
(ङ) मुख्तारनामा की एक प्रति, यदि विवरणिका पर निदेशकों के विधिवत अधिकृत एजेंट के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, भारतीय परिचालन के प्रभारी व्यक्ति को उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सलाह दी जाएगी।

- (ii) विदेशी कंपनियां (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, प्रत्येक विदेशी कंपनी, रजिस्ट्रार के पास दाखिल होने के लिए आवश्यक वित्तीय विवरण के साथ, निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करेगी; अर्थात्:-

1. संबंधित पार्टी के लेन-देन का विवरण
2. लाभ के प्रत्यावर्तन का विवरण
3. निधियों के हस्तांतरण का विवरण (लाभांश सहित, यदि कोई हो)।

उपरोक्त विवरण में ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे जो कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 में निर्धारित हैं।

- (ग) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 9 के अनुसार, जहां किसी व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में धारा 8(5) या धारा 8(7) या धारा 58बी या धारा 60(2ए) के तहत जब्ती का आदेश दिया गया है, ऐसी संपत्ति के सभी अधिकार और टाइटल केंद्र सरकार में निहित होंगे और सभी भारों से मुक्त होंगे।

तथापि, जहां विशेष न्यायालय या निर्णायक प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस अध्याय के तहत कुर्क की गई या जब्त या रोकी गई संपत्ति में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, यह राय बनाता है कि संपत्ति पर भार या लीज-होल्ड ब्याज को इस अध्याय के प्रावधानों को मात देने की दृष्टि से बनाया गया है, तो वह एक आदेश द्वारा, इस तरह के भार या लीज-होल्ड ब्याज को शून्य घोषित कर सकता है और उसके बाद उपरोक्त संपत्ति केंद्र सरकार में निहित होगी और इस तरह के भार या लीज-होल्ड ब्याज से मुक्त होगी।

इसके अलावा, इस धारा में कुछ भी किसी भी व्यक्ति को ऐसे भारों के संबंध में किसी भी दायित्व से मुक्त करने के लिए संचालित नहीं होगा, जिसे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नुकसान के लिए एक मुकदमे द्वारा लागू किया जा सकता है।

इस प्रकार, विशेष न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश और केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति में निहित हित के पारित होने के बाद श्री मोहित के पास संपत्ति पर कोई भार नहीं है।

- (घ) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट या अदालती आदेश के गिरफ्तार कर सकता है।

प्रश्न के तथ्यों और कानून के प्रावधान के अनुसार, पुलिस अधिकारी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध के लिए बिना किसी वारंट के श्री राधे को वैध रूप से गिरफ्तार कर सकता है, और केंद्र द्वारा विशेष रूप से अधिकृत होने पर, एक सामान्य या विशेष आदेश, और निर्धारित शर्तों के अधीन, अपराध की जांच करेगा।

**अपराध का संज्ञान:** विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता, जब तक कि लिखित में शिकायत न की जाए: -

- (क) निदेशक द्वारा, या  
(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में उस सरकार की ओर से अधिकृत है।

#### प्रश्न 4

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) में वर्तमान में एक अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रालय से 2 सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक से एक सदस्य और 5 अन्य सदस्य (भारत सरकार द्वारा नामित) हैं। 5 अन्य सदस्यों में से 4 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य हैं। मिस्टर ए उन 4 पूर्णकालिक सदस्यों में से एक हैं, जो पीक्यूआर लिमिटेड के निदेशक भी हैं। पीक्यूआर लिमिटेड से संबंधित एक मामला बोर्ड (सेबी) की बैठक में विचार के लिए आया, जिसमें श्री ए के कुछ अप्रत्यक्ष आर्थिक हित थे। श्री ए ने सेबी की बैठक में रुचि के तथ्य की घोषणा की, लेकिन मामले के संबंध में बोर्ड के विचार-विमर्श और

**14FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

निर्णय प्रक्रिया में भी भाग लिया। बैठक में उपस्थित कुल 9 सदस्यों (अध्यक्ष सहित) में से अध्यक्ष और श्री ए (दोनों प्रस्ताव के प्रबल समर्थन में हैं) सहित 5 सदस्यों ने मामले के पक्ष में मतदान किया और शेष 4 सदस्यों ने इस मामले के खिलाफ मतदान किया। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सलाह दें कि मामले का निर्णय कैसे किया जाएगा। यदि श्री ए केवल अंशकालिक सदस्य होते और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते, तो क्या आपका उत्तर भिन्न होगा? **(4 अंक)**

(ख) आप एक सूचीबद्ध कंपनी पीआर लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त अनुपालन अधिकारी हैं। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ रिपोर्टिंग समयसीमा आवश्यकताओं के बारे में सलाह दें:

- (i) कुल चुकता शेयर पूंजी के 2% से अधिक वाली सूचीबद्ध कंपनी की पूंजी संरचना में परिवर्तन-
- (ii) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद का प्रस्ताव
- (iii) सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइट की सामग्री में परिवर्तन
- (iv) ट्रांसफर बुक को बंद करने या रिकॉर्ड तिथि या तारीख। **(4 अंक)**

(ग) श्री राजेश विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधान के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित विदेशी योगदान/उपहार लेख प्राप्त करने के संबंध में अनुपालन की रिपोर्ट के लिए आपकी विशेषज्ञ सलाह चाहते हैं।

- (i) सिंगापुर में रहने वाले अपने भाई से एक वित्तीय वर्ष में 12,20,000 रुपये तक का विदेशी अंशदान।
- (ii) उसके मित्र द्वारा उपहार में दिया गया यूएसबी 1300 का एक टीवी सेट जो अपने निजी काम के लिए जापान में रहता है। उपहार की तिथि को भारत में उक्त उपहारित वस्तु का बाजार मूल्य है ₹1,00,000।

**(4 अंक)**

(घ) मिस्टर लाल बनाम क्यूपीआर लिमिटेड के मामले में, मध्यस्थ ने अपने निर्णय में श्री लाल को क्यूपीआर लिमिटेड, जो एक वित्तीय लेनदार नहीं है, को बकाया के रूप में 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। हालांकि, श्री लाल के वित्तीय लेनदार मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती देना चाहते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित का उत्तर दें:

- (i) क्या श्री लाल के वित्तीय लेनदार मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने में सफल होंगे?
- (ii) मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने की समय-सीमा क्या है?
- (iii) क्या मध्यस्थता निर्णय के प्रवर्तन पर स्वतः रोक लगाई जाएगी, यदि इसे चुनौती दी जाती है? **(3 अंक)**

**उत्तर**

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 7(3) के अनुसार, बोर्ड की किसी भी बैठक से पहले आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और एक समान वोटों की स्थिति में अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य के पास द्वितीय या निर्णायक मत का अधिकार होगा।

धारा 7ए में प्रावधान है कि कोई भी सदस्य जो-

- एक कंपनी का निदेशक है, और

- जिसका ऐसे निदेशक के रूप में बोर्ड की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी मामले में कोई अप्रत्यक्ष आर्थिक हित है, ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति का खुलासा करेगा (प्रासंगिक परिस्थितियों के सामने आने के बाद जितनी जल्दी हो सके) और इस तरह के प्रकटीकरण को बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा, और वह सदस्य इस संबंध में किसी भी विचार-विमर्श अथवा बोर्ड के निर्णय में भाग नहीं लेगा। प्रश्न के तथ्यों और कानून के प्रावधान के अनुसार, श्री ए को अलग रखकर मामले का फैसला किया जाना चाहिए (धारा 7ए को ध्यान में रखते हुए)। इस प्रकार मामले का निर्णय शेष 8 सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए था। इसके अलावा अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है जिसे वह वोटों की समानता के मामले में प्रयोग कर सकता है। अतः दिए गए मामले में यदि मतों की समानता है तो सभापति अपना दूसरा मत डालेगा और उसी के अनुसार मामले का निर्णय किया जाएगा। धारा 7ए के संदर्भ में, कोई भी सदस्य जो इस धारा के दायरे में आता है, उस मामले के संबंध में बोर्ड के किसी भी विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं ले सकता है। इसलिए, श्री ए पीक्यूआर लिमिटेड से संबंधित कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, चाहे वह अंशकालिक सदस्य हों या पूर्णकालिक सदस्य हों।
- (ख) (i) सेबी के विनियम 31(1) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई (यहां, पीआर लिमिटेड) प्रतिभूति के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग प्रतिभूतियों और शेयरहोल्डिंग पैटर्न दिखाते हुए एक विवरण जमा करेगी। जो सूचीबद्ध इकाई के पूंजी पुनर्गठन के 10 दिनों के भीतर होगा और जिसके परिणामस्वरूप कुल चुकता शेयर पूंजी में 2% प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होगा।
- (ii) सूचीबद्ध संस्था स्टॉक एक्सचेंज को निदेशक मंडल की बैठक के बारे में कम से कम 2 कार्यदिवस पहले ही सूचना दे देगी, उस बैठक और सूचना की तारीख को छोड़कर जहां प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के प्रस्ताव पर विचार होना है।
- (iii) विनियम 46(3) के अनुसार, सूचीबद्ध संस्था सामग्री में किसी भी तरह के बदलाव की तारीख से 2 कार्य दिवसों के भीतर अपनी वेबसाइट की सामग्री में हुए बदलाव को अपडेट करेगी।
- (iv) रिकॉर्ड तिथि या हस्तांतरण पुस्तकों के बंद होने की तिथि [विनियम 42(2)]: सूचीबद्ध संस्था रिकॉर्ड तिथि के उद्देश्य को निर्दिष्ट करते हुए रिकॉर्ड तिथि से कम से कम 7 कार्य दिवस (सूचना की तारीख और रिकॉर्ड तिथि को छोड़कर) पहले स्टॉक एक्सचेंज को अग्रिम सूचना देगी। (अर्थात् रिकॉर्ड तिथि से पहले)।
- (ग) (i) एफसीआरए, 2010 की धारा 4 (ई) और एफसीआरआर, 2011 के नियम 6 के अनुसार, यहां तक कि धारा 3 के तहत प्रतिबंधित व्यक्तियों, यानी विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी अपने रिश्तेदारों से विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति है। हालांकि, एफसीआरआर, 2011 के नियम 6 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अपने किसी रिश्तेदार से एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये या उसके समकक्ष विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान के विवरण के बारे में



**16FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

केंद्र सरकार को सूचित करना होगा। इस तरह के योगदान की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर फॉर्म एफसी-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में बताना होगा।

चूंकि, योगदान की राशि ₹12,20,000 है, श्री राजेश को इस तरह के योगदान की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर फॉर्म एफसी-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में उनसे (उनके भाई जो सिंगापुर में रहता है) प्राप्त विदेशी योगदान के विवरण के बारे में केंद्र सरकार को सूचित करना है। ।

(ii) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 6ए के अनुसार, "विदेशी योगदान" जैसा कि धारा 2(1)(एच) में परिभाषित है, का अर्थ है किसी विदेशी स्रोत द्वारा किसी भी वस्तु का दान, वितरण या हस्तांतरण, जो किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहार के रूप में दी गई वस्तु नहीं हो, और ऐसे उपहार की तिथि पर जिसका भारत में बाजार मूल्य, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है। (यह राशि वर्तमान में एक लाख रुपये के रूप में निर्दिष्ट की गई है)।

दी गई स्थिति में, श्री राजेश ने जापान में रहने वाले अपने मित्र से उपहार के रूप में टीवी सेट (बाजार मूल्य 1,00,000 रुपये) प्राप्त किया। चूंकि, टीवी सेट का मूल्य निर्धारित सीमा के भीतर है, इसलिए, **श्री राजेश को उस वस्तु को प्राप्त करने की अनुमति है।**

इसलिए, श्री राजेश द्वारा प्राप्त टीवी सेट को विदेशी योगदान नहीं माना जाएगा और इस मामले में कोई रिपोर्टिंग अनुपालन की आवश्यकता नहीं होगी।

- (घ) (i) **मध्यस्थता निर्णय को चुनौती:** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार, मध्यस्थता समझौते के लिए केवल एक पक्ष ही एक मध्यस्थ के निर्णय को चुनौती दे सकता है। एक व्यक्ति जो मध्यस्थता का पक्ष नहीं है, एक मध्यस्थ निर्णय के खिलाफ चुनौती नहीं दे सकता है।

चूंकि प्रश्न में, श्री लाल के वित्तीय लेनदार, जो मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देना चाहते हैं, मध्यस्थता के पक्षकार नहीं हैं (श्री लाल बनाम क्यूपीआर लिमिटेड के मामले में), इसलिए, वे एक मध्यस्थ के निर्णय के खिलाफ चुनौती नहीं उठा सकते हैं।

- (ii) **समयसीमा-** समयसीमा से तात्पर्य उस समय से है जब मध्यस्थ निर्णय के खिलाफ चुनौती उठाई जा सकती है। कानून निर्णय सुनाए जाने के बाद **तीन महीने** की प्रारंभिक समय अवधि देता है जिसमें अधिकतम तीस दिनों का विस्तार किया जा सकता है।

- (iii) **स्वतः रोक लगना-** अधिनियम के अनुसार, प्रवर्तन पर कोई स्वतः रोक नहीं है। एक पक्ष को विशेष रूप से स्थगन के लिए अनुरोध करना पड़ता है, और स्टे देते समय अदालत शर्तें लगा सकती है। **[धारा 36(2)&(3)]**

इस प्रकार, मध्यस्थता निर्णय के प्रवर्तन पर स्वतः रोक नहीं होगी, यदि इसे चुनौती दी जाती है।

**प्रश्न 5**

- (क) **फ्यूम लिमिटेड के शेयरधारकों और लेनदारों ने कंपनी के पुनर्निर्माण की एक योजना के अनुमोदन के लिए बुलाई गई बैठक में आवश्यक प्रस्ताव पारित किए। ट्रिब्यूनल कंपनी के पुनर्निर्माण की एक योजना को मंजूरी देने का आदेश देता है। कुछ दिनों के बाद ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पुनर्निर्माण की**

**Paper - 4: CORPORATE AND ECONOMIC LAWS (पेपर - 4: कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून) 17**

योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। ट्रिब्यूनल के आदेश के आधार पर योजना के संशोधनों के बाद, कंपनी इस योजना को संतोषजनक ढंग से लागू नहीं कर सकी और ट्रिब्यूनल ने कंपनी को बंद करने का फैसला किया। कंपनी के निदेशकों ने ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेश पर आपत्ति जताई। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में टिप्पणी करें कि क्या ट्रिब्यूनल के योजना को संशोधित करने और कंपनी के समापन के निर्णय पर निदेशकों द्वारा उठाई गई आपत्ति सही है। (4 अंक)

- (ख) टीआईएम लिमिटेड राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रहा है। सीआईआरपी प्रक्रिया के दौरान, सभी संपत्ति, खाते बही या अन्य दस्तावेजों का नियंत्रण लेने के लिए टीआईएम लिमिटेड के निदेशकों से असहयोग के कारण समाधान पेशेवर को जिला कलेक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है और इस मामले में उसने एनसीएलटी, दिल्ली से संपर्क किया है। इस बीच, टीआईएम लिमिटेड ने जिला कलेक्टर से सहायता पर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय में आवेदन किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, जांच करें कि क्या जिला कलेक्टर एनसीएलटी, दिल्ली के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और आगे टिप्पणी करें कि क्या उच्च न्यायालय के पास जिला कलेक्टर के कार्य पर सवाल उठाने की शक्ति है। (4 अंक)

- (ग) ऑपरेशनल क्रेडिटर श्री कुश ने एम लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी, दिल्ली) के पास एक आवेदन दायर किया और आवेदन स्वीकार कर लिया गया। 10 जुलाई 2021 को, एनसीएलटी दिल्ली ने श्री अजय को एम लिमिटेड के अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया। नियुक्ति के बाद, श्री अजय ने 12 जुलाई 2021 को सीआईआरपी प्रक्रिया शुरू करने की सार्वजनिक घोषणा जारी की और दावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। 20 जुलाई 2021 को श्री अजय द्वारा लेनदारों की समिति का गठन किया गया था। इसके बाद, श्री कुश दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 12 ए के तहत अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं। हालांकि, श्री अजय ने यह कहते हुए निकासी आवेदन दाखिल करने से इनकार कर दिया कि लेनदारों की समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित का उत्तर दें।

- (i) क्या श्री कुश को एनसीएलटी, दिल्ली में निकासी आवेदन दाखिल करने से मना करने का श्री अजय का फैसला सही है? विस्तार से बताएं।  
(ii) यदि लेनदारों की समिति गठित नहीं की जाती तो क्या आपका उत्तर भिन्न होगा?  
(iii) निकासी आवेदन के अंतिम आदेश को पारित करने का अधिकारी कौन है? (6 अंक)

**उत्तर**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 231 के अनुसार,

- (1) आदेश को लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल की शक्ति: जहां ट्रिब्यूनल धारा 230 के तहत एक कंपनी के संबंध में समझौता या व्यवस्था को मंजूरी देने का आदेश देता है, वहां-

(क) उसके पास समझौते या व्यवस्था के कार्यान्वयन की निगरानी करने की शक्ति होगी; तथा

**18FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

(ख) ऐसा आदेश देते समय या उसके बाद किसी भी समय, किसी भी मामले के संबंध में वह ऐसे निर्देश दे सकता है या समझौते या व्यवस्था में ऐसे संशोधन कर सकता है जिसे समझौते या व्यवस्था के उचित कार्यान्वयन के लिए वह आवश्यक समझता है।

(2) **ट्रिब्यूनल द्वारा परिसमापन आदेश:** यदि ट्रिब्यूनल इस बात के लिए निश्चित है कि धारा 230 के तहत स्वीकृत समझौता या व्यवस्था को संशोधनों के साथ या उसके बिना संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है, और कंपनी योजना के अनुसार अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, तो यह कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है और यह आदेश धारा 273 के तहत किया गया आदेश माना जाएगा।

प्रश्न के तथ्यों और कानून के प्रावधानों के अनुसार, यदि योजना को संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया जाता है, तो ट्रिब्यूनल को कंपनी के समापन के लिए संशोधित करने, निगरानी करने और आदेश देने का अधिकार है।

इस प्रकार, योजना को संशोधित करने और कंपनी के समापन के ट्रिब्यूनल के निर्णय पर निदेशकों द्वारा उठाई गई आपत्ति **सही नहीं है।**

(ख) मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, आदि की सहायता लेने की शक्ति, (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 429)।

(1) ट्रिब्यूनल, इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी के समापन के लिए किसी भी कार्यवाही में या दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code), 2016 के तहत किसी भी कार्यवाही में, सभी संपत्ति, खाता बही या अन्य को हिरासत में लेने या अपने नियंत्रण में लेने के लिए लिखित रूप में, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर को अनुरोध कर सकता है जिनके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कंपनी की कोई संपत्ति, खाता बही या अन्य दस्तावेज हैं या उक्त कोड के तहत उन कॉर्पोरेट व्यक्तियों के हैं, या पाए जाते हैं, जिन्हें कब्जे में लेना है, और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, उससे ऐसा अनुरोध किए जाने पर, -

(क) ऐसी संपत्ति, खाता बही या अन्य दस्तावेजों को कब्जे में लेगा; तथा

(ख) इसे ट्रिब्यूनल या इसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों को सौंपने का कारण बताएगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर ऐसे कदम उठा सकते हैं या ले सकते हैं और इस तरह के बल का उपयोग कर सकते हैं, जो उनकी राय में, आवश्यक हो सकता है।

(3) इस धारा के अनुसरण में किए गए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर के किसी भी कार्य पर किसी भी आधार पर या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष किसी भी आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

उपरोक्त का उल्लेख करते हुए, जिला कलेक्टर एनसीएलटी, दिल्ली के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता है और उच्च न्यायालय को जिला कलेक्टर के कार्य पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

(ग) (i) दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code), 2016 की धारा 12ए के अनुसार, आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016

**Paper - 4: CORPORATE AND ECONOMIC LAWS (पेपर - 4: कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून) 19**

के विनियम 30ए के साथ पठित, निर्णायक प्राधिकरण आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर लेनदारों की समिति के नब्बे प्रतिशत वोटिंग शेयर के अनुमोदन के साथ धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है, या इस तरह से निर्दिष्ट किया जा सकता है।

इस प्रकार, लेनदारों की समिति के वोटिंग हिस्सा के नब्बे प्रतिशत की स्वीकृति होने पर आवेदन वापस लिया जा सकता है।

इसलिए, श्री अजय श्री कुश को केवल इस आधार पर निकासी आवेदन दाखिल करने से इनकार नहीं कर सकते कि लेनदारों की समिति का गठन कर लिया गया है।

**(ii) लेनदारों की समिति के गठन से पहले**

आवेदक अंतरिम समाधान पेशेवर के माध्यम से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को वापसी के लिए एक आवेदन करेगा। समाधान पेशेवर अनुरोध प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर आवेदक की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इस तरह के निकासी आवेदन को प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, इस तरह की वापसी का अंतिम अनुमोदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के माध्यम से होगा।

इस प्रकार, यदि लेनदारों की समिति का गठन नहीं किया जाता है, तो श्री कुश निकासी के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर के माध्यम से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी, दिल्ली) को आवेदन करेंगे।

इसलिए, उत्तर अलग नहीं होगा और श्री अजय श्री कुश को एनसीएलटी, दिल्ली के साथ निकासी आवेदन दाखिल करने से इनकार नहीं कर सकते।

**(iii) इस तरह की निकासी का अंतिम अनुमोदन निर्णायक प्राधिकरण यानी एनसीएलटी, दिल्ली द्वारा पारित आदेश के माध्यम से होगा।**

**प्रश्न 6**

(क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बीएलएम प्राइवेट लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण से निम्नलिखित शेष राशि निकाली जाती है:

	करोड़ रुपए में
चुक्ता शेयर पूंजी	20
लाभ और हानि खाते में शेष राशि	6
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लेना	49
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	8

किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय ने बीएलएम प्राइवेट लिमिटेड की शेयर पूंजी में कोई पैसा निवेश नहीं किया है। उपरोक्त लेन-देन करने के प्रस्तावित समय पर विद्यमान उपरोक्त उधारों के पुनर्भुगतान में कंपनी ने कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास अपने वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में भी कोई चूक नहीं की है।

कंपनी ने अपने निदेशक श्री बी को ₹50 लाख का ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें अपनी बेटी की शिक्षा के वित्तपोषण के लिए धन की सख्त जरूरत है। एक अन्य निदेशक श्री एल ने तर्क दिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कंपनी

**20FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

द्वारा श्री बी को ऋण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, श्री बी की राय है कि कंपनी के एक निजी कंपनी होने के कारण, उसपर प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं का विश्लेषण और उल्लेख करते हुए, बीएलएम प्राइवेट लिमिटेड के अपने निदेशक, श्री बी को ऋण दिए जाने के प्रस्ताव की वैधता की जांच करें।

एमएपी लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी) के निदेशकों में से एक श्रीमती रीना को, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) श्रीमती मीना के खिलाफ सबूत मिले कि वह कंपनी में राजस्व चोरी की गतिविधियों में शामिल हैं। श्रीमती रीना उपरोक्त मामले की रिपोर्ट करने से डरती हैं क्योंकि श्रीमती मीना अन्य निदेशकों की बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, और श्रीमती रीना को कंपनी से पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं मिलेंगे। चूंकि आप सचिवीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, श्रीमती रीना को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए सतर्कता तंत्र के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर सलाह दें।

- (i) क्या श्रीमती रीना (निदेशक) उपरोक्त रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी में उपलब्ध रक्षोपाय तंत्र के विकल्प का उपयोग कर सकती हैं?
- (ii) वह रिपोर्टिंग प्राधिकारी कौन है जिसके पास पीड़ित उपरोक्त मामले की रिपोर्ट करने के लिए पहुंच सकती है?
- (iii) सतर्कता तंत्र के विवरण की प्रकटीकरण आवश्यकताएं क्या हैं?

**(4 अंक)**

(ख) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 में हालिया संशोधन का उल्लेख करते हुए 18 दिसंबर, 2019, की अधिसूचना जी.एस.आर. 774 (ई) के मुताबिक निदेशकों को निम्नलिखित स्थिति में सलाह दें:

- (i) श्री अनूप एक कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने डेटा बैंक में आवेदन किया है। हालांकि, उन्होंने डेटा बैंक में नामांकन की तारीख से लेकर पिछले एक साल से ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा को पूरा नहीं किया है। क्या श्री अनूप स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं?
- (ii) श्रीमती वंदना एक कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पाने का इरादा रखती हैं और इसलिए उन्होंने डेटा बैंक में आवेदन किया है। उन्होंने अभी तक ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा पास नहीं की है। उन्होंने डेटा बैंक में अपना नाम शामिल करने की तारीख से चार साल से अधिक समय तक एक सूचीबद्ध कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है। क्या श्रीमती वंदना स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने की पात्र हैं?

**(4 अंक)**

(ग) एक अधिकारी श्री रंजीत को 1 दिसंबर, 2021 की सुबह एक सूचना मिली कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कुछ संपत्तियों को एक निश्चित परिसर में रखा गया है और शाम तक उन्हें राज्य से बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को समझते हुए श्री रंजीत ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत उस परिसर में प्रवेश किया और लिखित में कोई कारण दर्ज किए बिना परिसर के प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया। एक विशेषज्ञ के रूप में,

**Paper - 4: CORPORATE AND ECONOMIC LAWS (पेपर - 4: कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून) 21**

आप जांच करें कि क्या श्री रंजीत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ऐसी कार्रवाई के लिए किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। **(3 अंक)**

- (घ) एबीसी लिमिटेड दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code), 2016 (आईबीसी, 2016) की धारा 59 के तहत स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रहा है। आईबीसी, 2016 के प्रावधानों का पालन करने के बाद, श्रीमती रीता को एबीसी लिमिटेड द्वारा परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान, श्रीमती रीता अन्य पेशेवर कार्यों में व्यस्त हो गईं, और इसलिए एबीसी लिमिटेड ने परिसमापक को अन्य दिवाला पेशेवर के साथ बदलने का निर्णय लिया। आईबीसी, 2016 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निम्नलिखित के उत्तर दें:
- (i) क्या एबीसी लिमिटेड श्रीमती रीता को किसी अन्य परिसमापक के साथ बदल सकता है?
  - (ii) आईबीसी, 2016 के तहत नियुक्ति के तुरंत बाद नवनियुक्त परिसमापक द्वारा पूरी की जाने वाली रिपोर्टिंग आवश्यकताएं क्या होंगी?
  - (iii) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से विघटन का आदेश प्राप्त करने के बाद, IBC, 2016 के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं क्या हैं?
- (3 अंक)**

**उत्तर**

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 में ऐसे प्रावधान हैं जो निदेशकों आदि को दिए जाने वाले ऋण आदि पर प्रतिबंध लगाते हैं।

तदनुसार, किसी कंपनी को किसी भी ऋण को एडवांस में देने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति नहीं है।

- (क) कंपनी के किसी निदेशक को, या इसकी होल्डिंग कंपनी को या किसी निदेशक के किसी भागीदार या रिश्तेदार को

- (ख) ऐसे किसी भी फर्म को जिसमें निदेशक या रिश्तेदार भागीदार है।

**अधिसूचना संख्या जीएसआर 464 (ई), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार अधिसूचना संख्या जीएसआर 583 (ई), दिनांक 13 जून 2017 द्वारा संशोधित, धारा 185 एक निजी कंपनी पर लागू नहीं होगी जिसका अर्थ है कि निदेशकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऋण दिया जा सकता है:**

- (क) जिसकी शेयर पूंजी में किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट ने कोई पैसा नहीं लगाया है;
- (ख) यदि ऐसी कंपनी का बैंकों या वित्तीय संस्थानों या किसी भी कॉर्पोरेट से उधार उसकी चुकता शेयर पूंजी के दोगुने या पचास करोड़ रुपये, जो भी कम हो, से कम है, और
- (ग) ऐसी कंपनी ने इस धारा के तहत लेन-देन करने के समय मौजूद ऐसे उधारों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

उपरोक्त छूट एक निजी कंपनी पर लागू होती है यदि उसने रजिस्ट्रार के साथ धारा 137 या धारा 92 के तहत वार्षिक रिटर्न के तहत अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने में कोई चूक नहीं की है।

यहां दिए गए मामले में, खंड (क) में दी गई आवश्यकता, और धारा 137 के तहत इसके वित्तीय विवरण या रजिस्ट्रार के साथ धारा 92 के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में कोई चूक नहीं है, हालांकि, खंड (ख) के अनुसार, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से बीएलएम प्राइवेट लिमिटेड की उधारी ₹ 49 करोड़ है जो इसकी चुकता शेयर पूंजी के दोगुने से अधिक है (अर्थात ₹20 करोड़ x 2 = ₹40 करोड़)।

**22FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021 (फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021)**

इसलिए, श्री एल का यह तर्क कि श्री बी को ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा, सही है। तदनुसार, चूंकि बीएलएम प्राइवेट लिमिटेड पर कोई छूट लागू नहीं है, **बीएलएम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसके निदेशक श्री बी को ₹ 50 लाख का ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव अमान्य है।**

**अथवा**

सतर्कता तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 177 (9) और (10) में निहित है।

- (i) अधिनियम की धारा 177(9) के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र का गठन किया जाएगा, जो इस तरह के तंत्र के उपयोग से अपने उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए नियम 7 में निर्धारित तरीके से वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं और जिसमें उपयुक्त या असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का प्रावधान है।

तदनुसार, उत्तर है - हां, निदेशक श्रीमती रीना एमएपी लिमिटेड की सतर्कता तंत्र नीति के तहत सीएफओ श्रीमती मीना, के खिलाफ उपलब्ध सुरक्षा तंत्र का उपयोग करने का विकल्प चुन सकती हैं, जो कंपनी में राजस्व चोरी की गतिविधियों में शामिल थीं और वह मामले के बारे में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को सीधे रिपोर्ट कर सकती हैं और यदि लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के हित (सीएफओ के रिश्तेदार होने के नाते) इस मामले से जुड़े हैं, तो श्रीमती रीना सीधे बोर्ड के अध्यक्ष को मामले की रिपोर्ट कर सकती हैं।

- (ii) रिपोर्टिंग प्राधिकारी, लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष या असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति की भूमिका निभाने के लिए नामित निदेशक, जैसा भी मामला हो, होगा।
- (iii) कंपनी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर और बोर्ड की रिपोर्ट में सतर्कता तंत्र की स्थापना के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य है।

- (ख) (i) **कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 के उप-नियम (4) के अनुसार**, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उप-नियम (1) के तहत डेटा बैंक में शामिल है, डेटा बैंक में नाम शामिल होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर संस्थान द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा को पास करेगा जिसमें विफल होने पर, उसका नाम संस्थान के डेटाबैंक से हटा दिया जाएगा।

हाँ, यहाँ, श्री अनूप एक **स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के पात्र** हैं, क्योंकि उनके पास एक ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने की समयावधि उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, श्री अनूप एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पाने के पात्र हैं क्योंकि डेटा बैंक में उनके नाम को शामिल करने की तारीख से दो साल की अवधि के मुकाबले केवल एक वर्ष ही बीता है।

- (ii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 के उप-नियम (4) के प्रावधान के अनुसार, किसी व्यक्ति को ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर उस व्यक्ति ने डेटा बैंक में उसके नाम को शामिल करने की तारीख से, कम से कम तीन साल तक एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में, निदेशक या प्रमुख

प्रबंधकीय कर्मों के रूप में, काम किया है।

इसलिए, हाँ, श्रीमती वंदना उक्त प्रावधान के अनुपालन के मुताबिक, एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पाने की पात्र हैं।

[नोट: प्रश्न में दी गई अधिसूचना जी.एस.आर. 774 (ई) दिनांक 18 दिसंबर, 2019 को 18 दिसंबर, 2020 के रूप में पढ़ा जाना है]

(ग) तंग करने के लिए तलाशी की सजा: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई भी प्राधिकरण या अधिकारी, जो लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के बिना: -

(क) किसी भवन या स्थान की तलाशी लेता है; या

(ख) किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेता है या तलाशी लेता या गिरफ्तार करता है,

ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए दोषसिद्धि होने पर दो वर्ष तक की कैद या पचास हजार रुपये तक के जुर्माना या दोनों का भागी हो सकता है।

श्री रंजीत ने उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में काम किया है और इसलिए वह दो साल तक के कारावास या पचास हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

(घ) दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code), 2016 की धारा 59 के अनुसार, निम्नलिखित उत्तर होंगे:

(i) हाँ, एबीसी लिमिटेड एक विशेष प्रस्ताव पारित करके श्रीमती रीता को दूसरे परिसमापक के साथ बदल सकता है।

(ii) नवनियुक्त दिवालिया सम्बन्धी पेशेवर, परिसमापक के रूप में अपनी नियुक्ति के तीन दिनों के भीतर आईबीबीआई को ऐसी नियुक्ति के बारे में सूचित करेगा।

(iii) निर्णायक प्राधिकरण परिसमापक द्वारा दायर एक आवेदन पर, एक आदेश पारित करेगा कि कॉर्पोरेट देनदार को उस आदेश की तारीख से भंग कर दिया जाएगा और कॉर्पोरेट देनदार को तदनुसार भंग कर दिया जाएगा। विघटन के आदेश की ऐसी प्रति ऐसे आदेश की तारीख से चौदह दिनों के भीतर उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसके साथ कॉर्पोरेट व्यक्ति पंजीकृत है।